न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सामनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2023

उनवान

1. श्री लादूलाल पुत्र नन्दलाल प्रजापत निवासी माणिक्यनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति बाली देवी पत्नी स्व. श्री राजकुमार कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री विनोद पुत्र स्व. श्री राजकुमार कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सुश्री किरण पुत्री स्व. श्री राजकुमार कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सुश्री उषा पुत्री स्व. श्री राजकुमार कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री सोनू पुत्र स्व. श्री राजकुमार कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. सुश्री कविता पुत्री स्व. श्री. राजकुमार कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

– अपीलार्थीगण

बनाम

श्री आनन्द स्वरूप पुत्र मुरलीधर ब्राहम्ण निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र मुरलीधर ब्राहम्ण निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

ग्राम पंचायत सुवाणा पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा जरिये संरपच ग्राम पंचायत सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

स्थित:–

अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री शोभागमल कुमावत

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सं0 03 गिरधारी रेगर

रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 20.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता व पति राजकुमार पुत्र ...लाल कुम्हार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात ग्राम ... पह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 3802, 3816, 4530/3816 ...किता 03 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिनांक 03 जून 1994 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये ...कर अपने आधिपत्य प्राप्त की गई। जिसका उपयोग उपभोग अपीलार्थीगण करते चले आ रहे है। क्रय ...भूमि की रजिस्ट्री की प्रति पटवार हल्का को नामान्तकरण खोलेन हेतु दी गई, अपीलार्थीगण ने राजस्व ... की जानकारी की गई, नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि ग्राम पंचायत द्वारा ...र्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला गया जिसमें आराजी नम्बर 4530/3816 को ...ग्रस्त बताकर लादूलाल पुत्र नाथू कुम्हार के प्रार्थना पत्र पेश करने व खरीददार का कब्जा नही होना ...र अपीलार्थीगण के पिता व पति राजकुमार के नाम पर खेल दिया गया व आराजी नम्बर 4530/3816 ...मान्तरण नही खोला गया, अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत सुवाणा के नामान्तकरण ... 1815 आदेश 10.7.1995 में आराजी नम्बर 4530/3816 रकबा 14 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण ...र्थीगण के पक्ष में करवाये जाने की प्रार्थना की गई है। अपील के समर्थन में ग्राम सुवाणा के ...करण संख्या 1815 की प्रमाणित प्रति, एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.1994 की फोटो प्रति एवं ...दी की नकल ग्राम सुवाणा के खाता संख्या 68 एवं खाता संख्या 535 खाता संख्या 885, खाता संख्या ... प्रति एवं राजू पिता नन्दलाल प्रजापत की मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीगण का प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट ... 1 व 2 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ग्राम ... सुवाणा की और से. इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। ग्राम सुवाणा के नामान्तकरण संख्या 1815 ...र्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.1994 के आधार पर, आनन्दस्वरूप, चन्द्रप्रकाश पिता मुरलीधर व्यास

उपखण्ड अधिकारी

21/8/23

निवासी भीलवाडा खातेदार द्वारा ग्राम सुवाणा के आराजी नम्बर 3802, 3816, 4530/3816 कुल किता 03 रकबा 11 बीघा 13 बिस्व भूमि लादूलाल, राजकुमार आत्मज नन्दलाल कुम्हार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा के नाम विक्रय करने से नामान्तकरण पर ग्राम पंचायत सुवाणा द्वारा दिनांक 10.7.1995 को निर्णय पारित किया है। जिसमें आराजी नम्बर 4530/3816 रकबा 13 बिस्वा भूमि पर खरीददार का कब्जा नही होने से इस आराजी को छोडकर आराजी नम्बर 3802 एवं 3816 कुल किता 02 कुल रकबा 11 बीघा भूमि का क्रेता के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है।

विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 7.6.1994 के परीक्षण अनुसार आराजी नम्बर 3802, 3816, 4530/3816 कुल किता 03 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि विक्रय होकर विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण को विक्रय शुदा भूमि का कब्जा करा दिया जाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में क्रेता का उपरोक्त तीनो आराजियात में कब्जा होना माना जायेगा। ग्राम पंचायत सुवाणा का आराजी नम्बर 4530/3816 रकबा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में खरीददार का कब्जा नही होने के आधार पर दिनांक 10.07.1995 सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा का आदेश त्रुंटिपूर्ण है। अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है अतःएवं

:: आदेश ::

अपीलार्थीगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर ग्राम सुवाणा के नामान्तकरण संख्या 1815 में आराजी नम्बर 3802, 3816, 4530/3816 के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.1995 में आराजी नम्बर 4530/3816 रकबा 13 बिस्वा भूमि पर खरीददार के कब्जा नही होने के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, नामान्तकरण संख्या 1815 निर्णय दिनांक 10.7.1995 सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा को अपास्त किया जाता है एवं उक्त नामान्तकरण को रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.1994 के आधार पर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे। नामान्तकरण की फोटो प्रति एवं निर्णय की फोटो प्रति तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20 मार्च 2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा